न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 41/2018

दायर दिनाँक 01.02.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागीरथराम पुत्र सुखाराम, उम्र–48साल, जाति–जाट, निवासी–खारिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोविन्दराम पुत्र गंगाराम, उम्र–68साल, 2. लक्ष्मणराम पुत्र गंगाराम, उम्र–65साल, 3. मेघाराम पुत्र गंगाराम, उम्र–52साल, 4. विमला पुत्री गंगाराम, उम्र–49साल, 5. कमला पत्नी मोहनराम, उम्र–55साल, 6. राजेन्द्र पुत्र मोहनराम, उम्र–37साल, 7. सुशिला पुत्री मोहनराम, उम्र–30साल, 8. सुमित्रा पुत्री मोहनराम, उम्र–28साल, 9. हरेन्द्र पुत्र मोहनराम, उम्र–26साल, 10. अर्जुनराम पुत्र गिद्धाराम, उम्र–77साल, 11. रामचन्द्र पुत्र गिद्धाराम, उम्र–70साल, 12. हरदेवाराम पुत्र गिद्धाराम, उम्र–52साल, 13. गणपति पुत्री गिद्धाराम, 14. विमला पुत्री गिद्धाराम, 15. केसर पुत्री गिद्धाराम, उम्र–50साल, 16. धापूदेवी पत्नी सुखाराम, उम्र–82साल, 17. गुलाब पुत्री सुखाराम, उम्र–58साल, 18. गौरादेवी पुत्री सुखाराम, उम्र–55साल, 19. टीकुराम पुत्र सुखाराम, उम्र–53साल, 20. रामूराम पुत्र नारायणराम, उम्र–58साल, 21. रामदेवाराम पुत्र नारायणराम, उम्र–58साल,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		22. सोहनी पुत्री नारायणराम, उम्र–65साल, 23. लिछमाराम पुत्री नारायणराम, उम्र–56साल, 24. पारू पुत्री नारायणराम, उम्र–45साल, 25. उषा पुत्री नारायणराम, उम्र–40साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–खारिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा–छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 27. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1: पक्षकारान्।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक 26.06.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद खारिया में खसरा नम्बर 242 रकबा 06.00 बीघा व खसरा नम्बर 260 रकबा 03.08 बीघा व खसरा नम्बर 294 रकबा 48.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 302 रकबा 24.06 बीघा भूमि अवस्थित है, जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 की पैतृक कब्जाकाश्त की व संयुक्त खातेदारी की है।

प्रार्थना वादी है कि,

वादग्रस्त भूमि शरहद खारिया में खसरा नम्बर 242 रकबा 06.00 बीघा व खसरा नम्बर 260 रकबा 03.08 बीघा व खसरा नम्बर 294 रकबा 48.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 302 रकबा 24.06 बीघा भूमि का बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 के बीच वर्तमान मौखिक बन्टवारा पक्षकारान् मुताबिक ही बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जावे इसके रिकॉर्ड में दर्ज मृतक खातेदारान् का नाम हटाया जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 41 / 2018
दायर दिनाँक 01.02.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 26.06.2018
भागीरथराम बनाम् गोविन्दराम, वगैरा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 27 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व लोक अदालत, कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा में प्रकरण पेश हुआ। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् वाद में, प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद मौजा खारिया के वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 संहखातेदारान् हैं तथा पक्षकारान् विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर, शरहद खारिया में खसरा नम्बर 242 रकबा 06.00 बीघा व खसरा नम्बर 260 रकबा 03.08 बीघा व खसरा नम्बर 294 रकबा 48.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 302 रकबा 24.06 बीघा भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव में, पक्षकारान् को विभाजन से उनके हिस्सों में आने–जाने हेतु रास्ते की सामुहिक भूमि प्रस्तावित करते हुए, विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार कर, पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

प्राथमिक निर्णय, आज दिनाँक 26.06.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

Scanned by CamScanner